[2020] 1 उम. नि. प. 410

रतनम्मा और अन्य

बनाम

सुजतम्मा और अन्य

[2010 की सिविल अपील सं. 3050]

15 नवम्बर, 2019

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5, 7 और 11 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 24 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101, 102 और 103] – अपील – हिन्दू पक्षकारों के बीच हिन्दू रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों के अनुसार, विवाह अनुष्ठापित होने का दावा करना – तथाकथित विवाह प्रतिषिद्ध नातेदारी डिग्रियों के भीतर अनुष्ठापित होना – ऐसे विवाह के आधार पर उत्तराधिकार का दावा करना – दावा नामंजूर होना – यदि अभिलेख पर के साक्ष्यों से यह साबित नहीं होता है कि हिन्दू पक्षकारों के बीच हिन्दू रुढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों के अनुसार विवाह अनुष्ठापित हुआ है और ऐसा विवाह प्रतिषिद्ध नातेदारी डिग्रियों के अधीन हुआ है तो ऐसी दशा में, ऐसे विवाह को विधिमान्य विवाह नहीं ठहराया जा सकता है और ऐसे विवाह के अधीन उत्तराधिकार का दावा करना युक्तियुक्त और विधिमान्य नहीं हो सकता है ।

वर्तमान मामले में, वाद लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी सं. 1 सोन्नप्पा की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे दो पुत्रों वेंकेटरयप्पा और पूर्वमृत पुत्र हनुमंतप्पा और तीन पुत्रियों – सोन्नम्मा, केनचम्मा और लक्षम्मा को छोड़ गया । सोन्नम्मा, केनचम्मा और लक्षम्मा को प्रतिवादी सं. 1 के विधिक उत्तराधिकारियों के रूप में अभिलेख पर लाया गया है । वादी - सुजतम्मा, सोन्नप्पा की मातृक पौत्री ने तारीख 7 मार्च, 1986 को हनुमंतप्पा के साथ विवाह होने का दावा किया है । हनुमंतप्पा की

मृत्यु तारीख 15 अक्तूबर, 1986 की हो गई । वादी का दावा यह है कि वह मृतक हनुमंतप्पा की पत्नी के रूप में सोन्नप्पा की संपदा में हिस्सा पाने की हकदार है । यही उक्त प्राख्यान है जिसे प्रथम अपील न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था और उसे उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखा गया था । वादी ने इस प्राख्यान के साथ सिविल वाद फाइल की थी कि पक्षकार, संयुक्त हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब के सदस्यों के रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं । वादी ने यह प्राख्यान किया कि प्रथम प्रतिवादी अर्थात् सोन्नप्पा उसका ससुर है । चूंकि संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा गया है और यह कि संपत्ति प्रथम प्रतिवादी सोन्नप्पा के नाम में थी, इसलिए, वादी ने यह दावा किया है कि वह उसकी पत्नी के रूप में हनुमंतप्पा के हिस्से की हकदार है । स्वीकृततः, हनुमंतप्पा की मृत्यु तारीख 15 अक्तूबर, 1986 अर्थात् अभिकथित विवाद के आठ माह के भीतर हो गई थी । वादी ने मौखिक साक्ष्य के अलावा फोटोग्राफ (प्रदर्श पी/28) का अवलंब लिया है जिसमें वादी और हनुमंतप्पा एक साथ देखे गए हैं । अभि. सा. 2 से अभि. सा. 5 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि फोटोग्राफ (प्रदर्श पी/28), उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में विवाह संपन्न होने के पश्चात् मलूर में लिए गए थे । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हनुमंतप्पा की आयु विवाह के समय पर 19 वर्ष 9 माह थी जैसा कि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि विवाह के समय पर उसकी आयु 15 वर्ष थी । इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी और मृतक उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के समय पर विवाह के लिए अर्हता की आयु प्राप्त नहीं किए थे और इस प्रकार विवाह आरंभतः शून्य था । यह भी अभिनिर्धारित किया है कि इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के निबंधनों में आवश्यक विवाह अनुष्ठान किए गए थे, इसलिए, मात्र विवाह करार का रजिस्ट्रीकरण ही विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है । विचारण न्यायालय ने भी वादी के इस कथन पर विचार किया जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि मृतक, विवाह के पूर्व कुछ बीमारियों से पीड़ित था और उसके पिता ने संपत्ति प्राप्त करने के आशय से जल्दबाजी में विवाह किया था । वादी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह ओक्कालिंगा समुदाय से संबंधित है और विवाह उसके घर में हुआ था और उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में

कुटुम्ब ने कोई विवाह नहीं कराया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी का मृतक के साथ विवाह साबित कर दिया गया है किन्तु विवाह, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 24 के निबंधनों में, आरंभत: शून्य है क्योंकि दोनों ने विवाह के लिए अर्हता आयु प्राप्त नहीं की थीं । परिणामत:, विद्वान् विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रतिवादी सं. 2 से 5 संपूर्ण अनुसूचित संपत्ति में 1/3 हिस्सा पाने के हकदार हैं । दोनों पक्षकारों ने अपील फाइल कीं । विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष की पुष्टि कर दी कि वादी का मृतक हनुमंतप्पा के साथ विवाह सिद्ध हो गया है और यह कि प्रदर्श डी/3 वादी का जन्म-तिथि प्रमाणपत्र ग्राह्य नहीं है क्योंकि यह एक अधिप्रमाणित दस्तावेज नहीं है । जन्म-तिथि के सबूत के अभाव में, प्रथम अपील न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि कारित की है कि वादी ने विवाह की आयु प्राप्त नहीं की है । विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रदर्श पी/1, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अधीन विवाह के विधिवत संपादन का सबूत नहीं है क्योंकि यह मात्र एक विवाह की संविदा है जो रजिस्ट्रीकृत हुई थी । सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई विवाह प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था, इसलिए, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन पक्षकारों के बीच विवाह होना समझा नहीं जा सकता है । तथापि, प्रथम अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि पक्षकार हिन्दू हैं और यह कि अधिनियम, 1954 के अधीन, यद्यपि, विवाह न तो शून्य है अथवा न ही शून्यकरणीय है, इसलिए, विवाह की आयु के उपबंध, मात्र निदेशात्मक प्रकृति के हैं, न कि आज्ञापक प्रकृति के हैं । विवाह को विधिमान्य अभिनिर्धारित किया जा सकता है, परिणामत:, वाद डिक्री कर दिया गया । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि में प्रथागत हिन्दू विवाह मात्र यह सिद्ध करते हुए, साबित किया जा सकता है कि विवाह के पक्षकारों ने आवश्यक रीति-रिवाजों के साथ विवाह किया है, चूंकि प्रतिवादियों ने स्वयं ही विवाह से इनकार किया है, इसलिए उन्हें यह दलील देने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है कि यह एक विधिमान्य विवाह नहीं था । इससे व्यथित होकर, माननीय उच्चतम न्यायालय के

समक्ष अपील फाइल की गई । न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में अवैधता कारित की है कि चूंकि प्रतिवादियों ने विवाह होने से इनकार किया है तो प्रतिवादियों द्वारा यह प्राख्यान नहीं किया जा सकता है कि वादी का हनुमंतप्पा के साथ विवाह एक विधिमान्य विवाह नहीं था । वादी ने इस प्रभाव का साक्ष्य दिया है कि विवाह, प्रदर्श पी/1 के माध्यम से उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में हुआ था । प्रदर्श पी/1 को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन सही तौर पर विवाह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया है और यह कि इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि कोई अनुष्ठान किया गया था । विवाह के करार (प्रदर्श पी/1) में, मात्र यह कथित है कि दोनों पक्षकार एक ही जाति के हैं और दोनों अपने-अपने पिता की अनुज्ञा और सहमति से इस विवाह के करार को किया था । इस प्रकार के विवाह को अधिनियम की धारा 7 के अधीन विधि में मान्यता प्राप्त नहीं है जिसमें यह अनुध्यात है कि विवाह, उसके पक्षकारों में से किसी की भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा और जहां ऐसी रूढ़ियों और कर्मकांडों में सप्तपदी सम्मिलित है वहां विवाह तभी पूर्ण और आबद्धकर होगा जब सातवां पद चल दिया जाता है । वादी ने अधिनियम, 1955 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन यथाउपबंधित विवाह होने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है अथवा न ही रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों का कोई साक्ष्य दिया है । विवाह साबित करने का भार मात्र वादी पर था । प्रतिवादियों ने वादी का विवाह होने से इनकार किया है, इसलिए, विवाह को साबित करने का भार मात्र वादी पर था । इस तथ्य के अलावा, ऐसे विवाह को अधिनियम, 1955 की धारा 5(v) के निबंधनों में अनुष्ठापित होना नहीं कहा जाएगा जो इस प्रभाव का होता है कि पक्षकार एक दूसरे के सपिण्ड नहीं है जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो । ऐसा विवाह, शून्य विवाह होता है किन्तु यह तभी होता है जब दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार याचिका प्रस्तुत करता है । हनुमंतप्पा जो विवाह का एक पक्षकार है, की मृत्यु, तथाकथित विवाह के ठीक पश्चात् हो गई थी । इसलिए, इस प्रश्न की परीक्षा की जानी

अपेक्षित है कि क्या अभिकथित विवाह जो 21 वर्ष और 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के बीच हुई है और जो प्रतिषिद्ध डिग्री में आते हैं, का विधिमान्य विवाह है । वादी, हनुमंतप्पा की संपदा को पाने के हकदार तभी है जब यदि वह अपने विवाह को विधिमान्य साबित कर देती है । वादी ने न तो प्रतिषिद्ध डिग्री के भीतर विवाह की अनुज्ञा देने वाले किसी प्रथा का अभिवाक् किया है न ही रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों द्वारा कोई विवाह अनुष्ठापित होने का कोई सबूत दिया है, इसलिए, वादी, एक विवाह करार के अभिकथित रजिस्ट्रीकरण के आधार मात्र पर सफल होने की हकदार नहीं है । प्रतिष्ठित डिग्री के बीच विवाह की रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों द्वारा अनुज्ञा देने के अभाव में, वादी को संपत्ति में किसी हिस्से का दावा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, मात्र इस आधार पर कि प्रस्तुत साक्षियों में से कुछ साक्षियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसका विवाह हनुमंतप्पा के साथ हुआ था । वर्तमान मामले में, वादी ने अपने मामा के साथ विवाह की प्रथा को और/या ऐसे विवाह को मान्यता देने वाले किसी न्यायिक पूर्व-निर्णय को साबित नहीं किया है । ऐसे विवाह के किसी पूर्व-निर्णय या प्रथा के अभाव में, कोई न्यायिक नोटिस ऐसी प्रथा के बारे में नहीं ली जा सकती है जैसा कि वादी के विद्वान् काउंसेल द्वारा तर्क दिया गया है । प्रथा के किसी अभिवाक् या सबूत के अभाव में, यह तर्क कि वोक्कालिगा समुदाय में ऐसा विवाह किया जा सकता है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि न्यायालय की नोटिस में ऐसी कोई न्यायिक पूर्व-निर्णय नहीं लाई गई है कि वोक्कालिगा समुदाय में ऐसी कोई प्रथा प्रचलित थी न ही ऐसी प्रथा के अस्तित्व के साक्ष्य का कोई दृष्टांत उद्धृत किया गया है । विवाह को साबित करने का भार, वादी पर था । वादी, विवाह को साबित करने में असफल रही है । संपूर्ण मामला, उस विवाह के करार पर आधारित थी जिसमें रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों को अनुष्ठापित करने के बारे में कोई प्राख्यान नहीं है अथवा न ही अधिनियम, 1966 की धारा 7 के अधीन अनुध्यात तरीके में, पक्षकारों के बीच सप्तपदी का अनुपालन हुआ था, इसलिए, वादी, ऐसे विवाह के आधार पर हनुमंतप्पा की संपदा को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकती है जिसे वह साबित करने में असफल रही है । (पैरा 13, 14, 15, 17 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2008] (2008) 13 एस. सी. सी. 119 :
सालेख चंद (मृत) मार्फत इसके विधिक प्रतिनिधिगण
बनाम **सत्या गुप्ता और अन्य** ; 16

[1963] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1715 :
वारदा भवनारायण राव बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** । 12

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2010 की सिविल अपील सं. 3050.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री देवदत्त कामत, ज्येष्ठ अधिवक्ता, आदित्य भट्ट, जवेदूर रहमान, राजेश ईनामदार, अश्विनी जी. राज, (सुश्री) श्रीनिधी राव और रऊफ रहीम, अधिवक्तागण ।

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री ई. सी. विद्या सागर, रणजीत कुमार और गोपी चंद, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने दिया ।

न्या. गुप्ता – यह अपील प्रतिवादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 5 और प्रतिवादी सं. 4 के विधिक उत्तराधिकारियों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 3 अप्रैल, 2008 को पारित निर्णय के विरुद्ध व्यथित होकर फाइल की है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उनकी द्वितीय अपील को खारिज करते हुए, प्रथम अपील न्यायालय द्वारा तारीख 2 जुलाई, 2005 को पारित निर्णय और डिक्री को कायम रखा था, जिसके द्वारा वादी सुजतम्मा द्वारा फाइल विभाजन के लिए वाद की डिक्री कर दी थी ।

2. पक्षकारों के बीच विवाद्यक का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित वंशवृक्ष का उल्लेख करना आवश्यक है :–

वंशवृक्ष

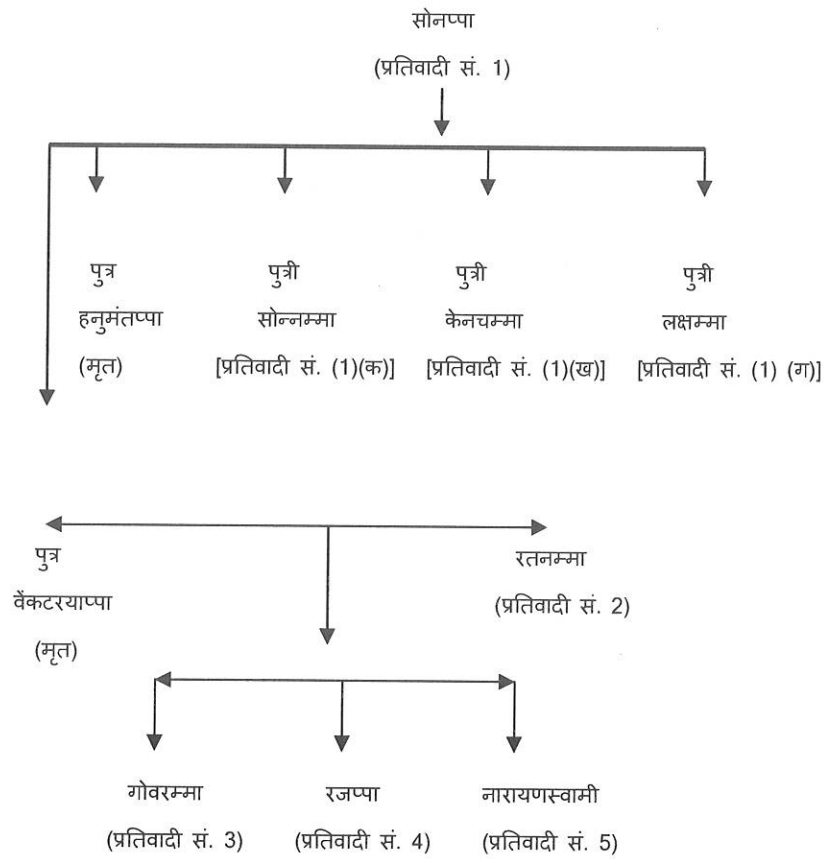

3. वाद लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी सं. 1 सोन्नप्पा की मृत्यु हो गई और वह अपने पीछे दो पुत्रों वेंकेटरयाप्पा और पूर्वमृत पुत्र हनुमंतप्पा और तीन पुत्रियों - सोन्नम्मा, केनचम्मा और लक्षम्मा को छोड़ गया । सोन्नम्मा, केनचम्मा और लक्षम्मा को प्रतिवादी सं. 1 के विधिक उत्तराधिकारियों के रूप में अभिलेख पर लाया गया है । वादी - सुजतम्मा, सोन्नप्पा की मातृक पौत्री ने तारीख 7 मार्च, 1986 को हनुमंतप्पा के साथ विवाह होने का दावा किया है । हनुमंतप्पा की मृत्यु तारीख 15 अक्तूबर, 1986 की हो गई । वादी का दावा यह है कि वह मृतक हनुमंतप्पा की पत्नी के रूप में सोन्नप्पा की संपदा में हिस्सा पाने की हकदार है । यही उक्त प्राख्यान है जिसे प्रथम अपील न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था और उसे उच्च न्यायालय द्वारा कायम

रखा गया था ।

4. वादी ने इस प्राख्यान के साथ सिविल वाद फाइल की कि पक्षकार, संयुक्त हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब के सदस्यों के रूप में एक दूसरे से संबंधित है । वादी ने यह प्राख्यान किया कि प्रथम प्रतिवादी अर्थात् सोन्नप्पा उसका ससुर है । चूंकि संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा गया है और यह कि संपत्ति प्रथम प्रतिवादी सोन्नप्पा के नाम में थी, इसलिए, वादी ने यह दावा किया है कि वह उसकी पत्नी के रूप में हनुमंतप्पा के हिस्से की हकदार है ।

5. प्रथम प्रतिवादी की पुत्री का विवाह वादी के पिता के साथ हुआ था । प्रतिवादियों का आधार यह है कि वादी के पिता ने कपटपूर्ण तरीके से प्रथम प्रतिवादी के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए थे और यह कि प्रथम प्रतिवादी ने उसके द्वितीय पुत्र हनुमंतप्पा के विवाह के लिए कभी सहमति नहीं दी थी क्योंकि वह किशोर मधुमेह मधुप्रद कोमा, हृदय श्वसन अवरोध और इसी प्रकार के अन्य रोगों से पीड़ित था । वादी की आयु हनुमंतप्पा की मृत्यु के समय पर लगभग 14 वर्ष थी और यह कि वह विवाह के लिए योग्य नहीं थी । यह प्राख्यान किया गया है कि यदि वादी द्वारा यह दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है कि वह विवाहित है तो यह मनगढ़त है । पृथक् लिखित कथन के माध्यम से प्रतिवादी सं. 2 से 5 ने वादी के अभिकथनों से इनकार किया है । निम्नलिखित अभिवाक् किया है :–

> "12. वादी किसी अनुतोष की हकदार नहीं है । मामले के सत्य तथ्य यह हैं कि वादी प्रथम प्रतिवादी की पौत्री है और वादी की माता प्रथम प्रतिवादी तथा वादी की एक दूसरे से साठ-गांठ है और उन्होंने संपत्तियों को हड़पने के लिए यह वाद फाइल किया है, वादी कभी भी उक्त स्व. हनुमंतप्पा की पत्नी नहीं रही है । क्योंकि उक्त हनुमंतप्पा की मृत्यु की तारीख पर उक्त वादी की आयु लगभग 14 वर्ष थी । यहां तक कि उक्त हनुमंतप्पा भी किशोर मधुमेह मधुप्रद कोमा, हृदय श्वसन अवरोध और इसी प्रकार के अन्य रोगों से पीड़ित था । यद्यपि, वह छह वर्षों तक विवाह करने और विवाह के लिए सहमति देने की स्थिति में नहीं था और स्व.

हनुमंतप्पा के साथ वादी का विवाह कभी भी नहीं हुआ था ।"

6. पक्षकारों का इस एक विवाद्यक पर विचारण हुआ कि क्या वादी, स्व. हनुमंतप्पा की पत्नी है । उक्त विवाद्यक को साबित करने के लिए वादी ने स्वयं की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा कराई । अभि. सा. 2 वादी का पिता है, जब कि अभि. सा. 3 से अभि. सा. 5 जो तारीख 7 मार्च, 1986 के विवाह करार के साक्षी हैं, की परीक्षा, हनुमंतप्पा के साथ वादी के विवाह को साबित करने के लिए की गई थी । अभि. सा. 6 की परीक्षा मृतक हनुमंतप्पा की आयु को साबित करने के लिए की गई थी । अभि. सा. 7 से अभि. सा. 9, मृतक प्रतिवादी सं. 1 की पुत्रियां हैं । जन्म-तिथि प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी/30) के अनुसार, हनुमंतप्पा की जन्म की तारीख 20 जून, 1966 है, जिससे उसके विवाह के समय पर उसकी आयु 19 वर्ष 6 माह बनती है । दूसरी ओर, वादी ने विवाह के समय पर अपने कथन में अपनी आयु 15 वर्ष कथित की है । तथापि, प्रतिवादियों ने अभि. सा. 6, विद्यालय के हैडमास्टर द्वारा मिलान करते हुए प्रदर्श डी/3, विद्यालय में प्रवेश का रजिस्टर प्रस्तुत किया । प्रदर्श डी/3 के अनुसार वादी का जन्म तारीख 5 जून, 1975 को हुआ था । वादी के अनुसार विवाह का करार, तारीख 7 मार्च, 1986 को रजिस्ट्रीकृत हुआ था । वादी द्वारा परीक्षा किए गए साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि विवाह, उक्त तारीख को रजिस्ट्रीकृत हुआ था ।

7. स्वीकृतत:, हनुमंतप्पा की मृत्यु तारीख 15 अक्तूबर, 1986 अर्थात् अभिकथित विवाद के आठ माह के भीतर हो गई थी । वादी ने मौखिक साक्ष्य के अलावा फोटोग्राफ (प्रदर्श पी/28) का अवलंब लिया है जिसमें वादी और हनुमंतप्पा एक साथ देखे गए हैं । अभि. सा. 2 से अभि. सा. 5 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि फोटोग्राफ (प्रदर्श पी/28), उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में विवाह संपन्न होने के पश्चात् मलूर में लिए गए थे । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हनुमंतप्पा की आयु विवाह के समय पर 19 वर्ष 9 माह थी जैसा कि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि विवाह के समय पर उसकी आयु 15 वर्ष थी । इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी और मृतक उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के समय

पर विवाह के लिए अर्हता की आयु प्राप्त नहीं किए थे और इस प्रकार विवाह आरंभत: शून्य था । यह भी अभिनिर्धारित किया है कि इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के निबंधनों में आवश्यक विवाह अनुष्ठान किए गए थे, इसलिए, मात्र विवाह करार का रजिस्ट्रीकरण ही विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है । विचारण न्यायालय ने भी वादी के इस कथन पर विचार किया जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि मृतक, विवाह के पूर्व कुछ बीमारियों से पीड़ित था और उसके पिता ने संपत्ति प्राप्त करने के आशय से जल्दबाजी में विवाह किया था । वादी ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वह ओक्कालिंगा समुदाय से संबंधित है और विवाह उसके घर में हुआ था और उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में कुटुम्ब ने कोई विवाह नहीं कराया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी का मृतक के साथ विवाह साबित कर दिया गया है किन्तु विवाह, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 24 के निबंधनों में, आरंभत: शून्य है क्योंकि दोनों ने विवाह के लिए अर्हता आयु प्राप्त नहीं की थीं । परिणामत:, विद्वान् विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रतिवादी सं. 2 से 5 संपूर्ण अनुसूचित संपत्ति में 1/3 हिस्सा पाने के हकदार हैं ।

8. दोनों पक्षकारों ने अपील फाइल कीं । विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष की पुष्टि कर दी कि वादी का मृतक हनुमंतप्पा के साथ विवाह सिद्ध हो गया है और यह कि प्रदर्श डी/3 वादी का जन्म-तिथि प्रमाणपत्र ग्राह्य नहीं है क्योंकि यह एक अधिप्रमाणित दस्तावेज नहीं है । जन्म-तिथि के सबूत के अभाव में, प्रथम अपील न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि कारित की है कि वादी ने विवाह की आयु प्राप्त नहीं की है । विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रदर्श पी/1, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अधीन विवाह के विधिवत संपादन का सबूत नहीं है क्योंकि यह मात्र एक विवाह की संविदा है जो रजिस्ट्रीकृत हुई थी । सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई विवाह प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था,

इसलिए, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन पक्षकारों के बीच विवाह होना समझा नहीं जा सकता है । तथापि, प्रथम अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि पक्षकार हिन्दू हैं और यह कि अधिनियम, 1954 के अधीन, यद्यपि, विवाह न तो शून्य है अथवा न ही शून्यकरणीय है, इसलिए, विवाह की आयु के उपबंध, मात्र निदेशात्मक प्रकृति के हैं, न कि आज्ञापक प्रकृति के हैं । विवाह को विधिमान्य अभिनिर्धारित किया जा सकता है, परिणामत:, वाद डिक्री कर दिया गया ।

9. उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील में यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी और हनुमंतप्पा के बीच विवाह हुआ था और यह कि प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी/1) न तो विवाह प्रमाणपत्र है न ही विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के निबंधनों में विवाह के साक्ष्य के रूप में जारी किया गया था अपितु यह मात्र साक्ष्य का एक भाग है जो वादी के इस कथन का समर्थन करता है कि उसका विवाह हनुमंतप्पा के साथ हुआ है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि में प्रथागत हिन्दू विवाह मात्र यह सिद्ध करते हुए, साबित किया जा सकता है कि विवाह के पक्षकारों ने आवश्यक रीति-रिवाजों के साथ विवाह किया है, चूंकि प्रतिवादियों ने स्वयं ही विवाह से इनकार किया है, इसलिए उन्हें यह दलील देने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है कि यह एक विधिमान्य विवाह नहीं था ।

10. प्रतिवादियों के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया कि वादी ने कभी भी यह प्राख्यान नहीं किया है कि हनुमंतप्पा के साथ उसका विवाह या तो विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन या प्रथा के अधीन संपन्न हुआ था । वस्तुत:, वादी ने यह अभिवाक् नहीं किया है कि उसका विवाह हनुमंतप्पा के साथ हुआ था, सिवाय इस प्राख्यान के कि प्रतिवादी सं. 1, उसका ससुर है । प्रतिवादी सं. 1 सोन्नप्पा, वादी का नाना है जबकि हनुमंतप्पा प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र था, इसका अभिप्राय यह है कि वादी ने यह दावा कि है कि उसने अपने मामा के साथ विवाह किया है । यह विवादित नहीं है कि हनुमंतप्पा कतिपय बीमारियों से पीड़ित था और अभिकथित विवाह के आठ माह के भीतर उसकी मृत्यु हो

गई थी । प्रतिवादियों का आधार यह है कि कोई विवाह नहीं हुआ था और यह कि मृतक हनुमंतप्पा की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए विवाह की कहानी गढ़ी गई है ।

11. हम आगे कार्यवाही करने के पूर्व हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के कुछ सुसंगत उपबंधों को निम्नलिखित उद्धृत करना आवश्यक समझते हैं :-

"5. **हिन्दू विवाह के लिए शर्तें** -

(i) * * * *

(ii) विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार -

(क) चित्त-विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो, या

(ख) विधिमान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतानोंत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, या

(ग) उसे उनमत्ता का बार-बार दौरा न पड़ता हो ।

(iii) * * * *

(iv) जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे प्रतिषिद्ध नातेदारी डिग्रियों के भीतर न हो,

(v) जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ियां या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो वे एक दूसरे के सपिण्ड न हो ।

7. **हिन्दू विवाह के कर्मकाण्ड** - (1) हिन्दू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा ।

(2) जहां कि ऐसी रीतियों के कर्मकांड के अन्तर्गत सप्तपदी

(अर्थात् अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्ततः सात पद चलना) आती हो वहां विवाह पूर्ण और आबद्धकर तब होता है जब सातवां पद चल लिया जाता है ।

11. **शून्य विवाह** – इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् अनुष्ठापित कोई भी विवाह, यदि वह धारा 5 के खंड (i), (iv) और (v) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो तो, अकृत और शून्य होगा और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा ।

12. विरचित विवाद्यकों में से एक विवाद्यक यह था कि क्या वादी, हनुमंतप्पा की पत्नी है । चूंकि वादी का संपूर्ण दावा हनुमंतप्पा के साथ उसके विवाह पर आधारित है, इसलिए, किसी विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि वह स्थापित विधि के सिद्धांतों में इसके अस्तित्व पर विश्वास करे । इस न्यायालय ने **वारदा भवनारायण राव** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 102 के निबंधनों में एक वाद या कार्यवाहियों में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी भी पक्षकार की ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए । इसे निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :-

"15. ऐसी स्थिति होने पर प्रश्न, जो लड़ने वाले पक्षकारों पर सबूत का भार अधिरोपित करता है, उसका विनिश्चय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के सुसंगत उपबंधों के अधीन किया जाता है । साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 यह उपबंध करता है कि जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है । धारा 102 यह उपबंध करता है कि किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति

[1] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1715.

पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य न दिया जाए । धारा 103 यह उपबंध करता है कि किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है, जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा ।"

13. हमारा यह निष्कर्ष है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में अवैधता कारित की है कि चूंकि प्रतिवादियों ने विवाह होने से इनकार किया है तो प्रतिवादियों द्वारा यह प्राख्यान नहीं किया जा सकता है कि वादी का हनुमंतप्पा के साथ विवाह एक विधिमान्य विवाह नहीं था । वादी ने इस प्रभाव का साक्ष्य दिया है कि विवाह, प्रदर्श पी/1 के माध्यम से उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में हुआ था । प्रदर्श पी/1 को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन सही तौर पर विवाह के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र नहीं पाया गया है और यह कि इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है कि कोई अनुष्ठान किया गया था । विवाह के करार (प्रदर्श पी/1) में, मात्र यह कथित है कि दोनों पक्षकार एक ही जाति के हैं और दोनों अपने-अपने पिता की अनुज्ञा और सहमति से इस विवाह के करार को किया था । इस प्रकार के विवाह को अधिनियम की धारा 7 के अधीन विधि में मान्यता प्राप्त नहीं है जिसमें यह अनुध्यात है कि विवाह, उसके पक्षकारों में से किसी की भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा और जहां ऐसी रूढ़ियों और कर्मकांडों में सप्तपदी सम्मिलित है वहां विवाह तभी पूर्ण और आबद्धकर होगा जब सातवां पद चल दिया जाता है ।

14. वादी ने अधिनियम, 1955 की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन यथाउपबंधित विवाह होने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है अथवा न ही रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों का कोई साक्ष्य दिया है । विवाह साबित करने का भार मात्र वादी पर था । प्रतिवादियों ने वादी का विवाह होने से इनकार किया है, इसलिए, विवाह को साबित करने का भार मात्र वादी पर था । इस तथ्य के अलावा, ऐसे विवाह को अधिनियम, 1955 की धारा 5(v) के निबंधनों में अनुष्ठापित होना नहीं कहा जाएगा जो इस

प्रभाव का होता है कि पक्षकार एक दूसरे के सपिण्ड नहीं है जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ि या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो । ऐसा विवाह, शून्य विवाह होता है किन्तु यह तभी होता है जब दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार याचिका प्रस्तुत करता है ।

15. हनुमंतप्पा जो विवाह का एक पक्षकार है, की मृत्यु, तथाकथित विवाह के ठीक पश्चात् हो गई थी । इसलिए, इस प्रश्न की परीक्षा की जानी अपेक्षित है कि क्या अभिकथित विवाह जो 21 वर्ष और 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के बीच हुई है और जो प्रतिषिद्ध डिग्री में आते हैं, का विधिमान्य विवाह है । वादी, हनुमंतप्पा की संपदा को पाने के हकदार तभी हैं जब यदि वह अपने विवाह को विधिमान्य साबित कर देती है । वादी ने न तो प्रतिषिद्ध डिग्री के भीतर विवाह की अनुज्ञा देने वाले किसी प्रथा का अभिवाक् किया है न ही रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों द्वारा कोई विवाह अनुष्ठापित होने का कोई सबूत दिया है, इसलिए, वादी, एक विवाह करार के अभिकथित रजिस्ट्रीकरण के आधार मात्र पर सफल होने की हकदार नहीं है । प्रतिष्ठित डिग्री के बीच विवाह की रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों द्वारा अनुज्ञा देने के अभाव में, वादी को संपत्ति में किसी हिस्से का दावा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, मात्र इस आधार पर कि प्रस्तुत साक्षियों में से कुछ साक्षियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसका विवाह हनुमंतप्पा के साथ हुआ था ।

16. इस न्यायालय ने **सालेख चंद (मृत) मार्फत इसके विधिक प्रतिनिधिगण** बनाम **सत्या गुप्ता और अन्य**[1] वाले मामले में, हिन्दू दत्तक और भरणपोषण अधिनियम, 1966 के अधीन दत्तक के दावे पर विचार करते हुए, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :-

> "21. मुक्का कोने **बनाम** अम्मा कुट्टी अम्मल (ए. आई. आर. 1928 मद्रास 299) वाले मामले में, यह अभिनिर्धारत किया गया था कि जहां प्रथा यह साबित करने के लिए स्थापित की जाती है

[1] (2008) 13 एस. सी. सी. 119.

कि यह साधारण विधि से भिन्न है, वहां यह साबित करना होता है कि यह लोक नीति के विरुद्ध नहीं है और यह कि यह अति प्राचीन, सदैव, निरंतर, प्रसिद्ध और विधान-मंडल द्वारा अभिव्यक्त तौर पर प्रतिषिद्ध नहीं है और यह नैतिकता या लोक नीति के विरुद्ध में नहीं है । यह विवादित नहीं है कि पुराने हिन्दू विधि के अधीन भी एक पुरुष के जीवन काल के दौरान दत्तक विनिर्दिष्टत: प्रतिषिद्ध था । इसके अतिरिक्त, हम यह मत व्यक्त करते हैं कि ऐसा दत्तक, यद्यपि, दत्तक की अवधारणा और उसके प्रयोजन के प्रतिकूल और अयुक्तियुक्त तरीके से लिया जा सकता है । कई संविवादों में गए बिना यदि जहां ऐसी प्रथा है वहां यह कहा जा सकता है कि यद्यपि, वहां ऐसी प्रथा है जो विधिमान्य प्रथा नहीं है ।

22. यह प्रथा को स्थापित करने वाले पक्षकार पर निर्भर करता है कि वह ऐसी प्रथा को अभिकथित और साबित करने जिसका वह अवलंब लेता है । प्रथा को सदृश्य तौर पर विस्तारित नहीं किया जा सकता है । इसे प्रेरक तत्व के रूप में सिद्ध करना चाहिए और न कि पूर्व तरीकों से सिद्ध करना चाहिए । प्रथा, सिद्धांत का मामला नहीं हो सकता है अपितु हमेशा ही यह तथ्य का मामला होना चाहिए और एक प्रथा को दूसरे प्रथा से कम नहीं किया जा सकता है । यह सुस्थिर विधि है कि प्रथा, कारणों की सदृशता द्वारा विस्तारित नहीं किया जा सकता है ।

23. जहां प्रथा का सबूत, तुलनात्मक तौर पर नवीनतम तारीख के कई उदाहरणों तक सीमित होने पर निर्भर करता है, न्यायालय, प्रथा को साबित होना अभिनिर्धारित कर सकते हैं ताकि वह वाद के पक्षकारों पर आबद्धकर हो और जो उनके माध्यम से और उनके अधीन दावा करते हैं, उन पर आबद्धकर हो । किन्तु, उक्त मामले में विनिश्चय, ऐसा नहीं होना चाहिए जो पूर्ववर्ती विनिश्चय का समाधान करता हो, यदि अन्य पक्षकारों के बीच भविष्य में कोई वाद फाइल होता है तो अभिकथित प्रथा के बारे में पूर्व साक्ष्य आना चाहिए । प्रथा के अस्तित्व से संबंधित निर्णय, अन्य मामले में ऐसी प्रथा को साबित करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य

की संपुष्टि में ग्राह्य होता है तथापि, जहां ऐसी प्रथा को न्यायालयों के नोटिस में बार-बार लाया जाता है वहां न्यायालय यह अभिनिर्धारित कर सकते हैं कि प्रथा को प्रत्येक वैयक्तिक मामले में साबित करने के आवश्यकता के बिना विधि में प्रस्तुत किया गया है ।

24. प्रथा एक नियम है जो एक विशिष्ट कुटुम्ब या विशिष्ट वर्ग या समुदाय या एक विशिष्ट जिला में लंबे समय से प्रयोग होता है जिसे विधि का बल प्राप्त होता है । मामले के तथ्यों पर आते हैं, अभि. सा. 1 ने स्थानीय प्रथा या समुदाय की प्रथा या रूढ़ि की किसी प्रास्थिति के बारे में कोई कथन नहीं किया है, अभि. सा. 2 मुरारी लाल ने दत्तक के अनुष्ठान का साक्षी होने का दावा किया है, वह जगन्नाथ, पारस राम का पुत्र का साला था जिसे चंद्र भान द्वारा दत्तक लेना कहा गया है । इस साक्षी की आयु, न्यायालय में अभिसाक्ष्य देते समय 83 वर्ष की थी । उसने स्थानीय प्रथा या समुदाय की प्रथा के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है । अभि. सा. 3 की आयु, जैसा कि निचले अपील न्यायालय द्वारा मत व्यक्त किया गया है, अपना अभिसाक्ष्य देते समय मात्र 43 वर्ष की थी जबकि दत्तक लगभग 60 वर्ष पहले लिया गया था । नि:संदेह उसने प्रथा के बारे में कहा है किन्तु यह उसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी और ऐसा उसने अभि. सा. 2 मुरारी लाल द्वारा दी गई मात्र सूचना के आधार पर कहा था । उसने स्वयं ऐसी प्रथा के बारे में कुछ नहीं कहा था । इस प्रकार, वादी का साक्ष्य, हापुड़ शहर और उसके आस-पास या वैश्य समुदाय में प्रचलित रूढ़ि या प्रथा को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।"

17. वर्तमान मामले में, वादी ने अपने मामा के साथ विवाह की प्रथा को और/या ऐसे विवाह को मान्यता देने वाले किसी न्यायिक पूर्व-निर्णय को साबित नहीं किया है । ऐसे विवाह के किसी पूर्व-निर्णय या प्रथा के अभाव में, कोई न्यायिक नोटिस ऐसी प्रथा के बारे में नहीं ली जा

सकती है जैसा कि वादी के विद्वान् काउंसेल द्वारा तर्क दिया गया है । प्रथा के किसी अभिवाक् या सबूत के अभाव में, यह तर्क कि वोक्कालिगा समुदाय में ऐसा विवाह किया जा सकता है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि न्यायालय की नोटिस में ऐसी कोई न्यायिक पूर्व-निर्णय नहीं लाई गई है कि वोक्कालिगा समुदाय में ऐसी कोई प्रथा प्रचलित थी न ही ऐसी प्रथा के अस्तित्व के साक्ष्य का कोई दृष्टांत उद्धृत किया गया है ।

18. विवाह को साबित करने का भार, वादी पर था । वादी, विवाह को साबित करने में असफल रही है । संपूर्ण मामला, उस विवाह के करार पर आधारित थी जिसमें रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों को अनुष्ठापित करने के बारे में कोई प्राख्यान नहीं है अथवा न ही अधिनियम, 1966 की धारा 7 के अधीन अनुध्यात तरीके में, पक्षकारों के बीच सप्तपदी का अनुपालन हुआ था, इसलिए, वादी, ऐसे विवाह के आधार पर हनुमंतप्पा की संपदा को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकती है जिसे वह साबित करने में असफल रही है ।

19. परिणामतः, वर्तमान अपील, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को प्रतिस्थापित करते हुए, मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

क.